

फर्द अहकाम

विजय सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या

विधि 166/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक

26.06.2024

विशेष
विवरण

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम शुद्धि का पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नम्बर 118/2023 उनवानी विजय सिंह बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.05.2024 की पालना बाबत पत्थरगढी हेतु पटवारी हल्का पंवालिया को लिखा गया। पटवारी हल्का पंवालिया ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर की तरमीम सही नहीं है। अतः तरमीम शुद्धि करने हेतु प्रकरण प्रस्तावित किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नम्बर 118/2023 उनवानी विजय सिंह बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.05.2024 की पालना बाबत पत्थरगढी हेतु पटवारी हल्का पंवालिया को लिखा गया। पटवारी हल्का पंवालिया ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर की तरमीम सही नहीं है। अतः उक्त खसरा नम्बरान् की तरमीम शुद्ध करने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करे।

बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की पटवारी हल्का पंवालिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर के रिकार्ड की जाँच कर नियमानुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

